20 Rs. COURT FEE 20 रु.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

(67)

//श्री//

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र.क्र. /09-10 निगरानी R-1643-II/2010

अशोककुमार पिता स्व. छोटेलालजी ग्वाला
निवासी ग्वालटोली नीमच जिला नीमच
----आवेदक

विरुद्ध

1-कन्हैयालाल पिता हीरालालजी अहिर
निवासी ग्राम भोलियावास तहसील व जिला नीमच
------अनावेदकगण
2-म.प्र. शासन

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

माननीय महोदय,

आवेदकगण आधिनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय नीमच द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/08-09 अपील मे पारीत आदेश दिनांक 22/09/2010 से असन्तुष्ट एवं दुःखित होकर निगरानी आवेदन अन्दर अवधि निम्न आधारों पर प्रस्तुत करते हैं:-

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण :-

यह कि आवेदक ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109 व 110 का भूमि सर्वे क्रमांक 590 पै.की रकबा 0-10 हेक्टर व सर्वे क्रमांक 600 पै.की रकबा 0-02 हेक्टर कुल रकबा 0-12 हेक्टर स्थित ग्राम भोलियावास तहसील व जिला नीमच को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 1771 दिनांक 13/10/2009 के द्वारा विक्रेता बादामबाई पति रतनलालजी अहिर से क्रय की होकर उस आधार पर नामान्तरण किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने बाबत प्रस्तुत किया था जिसमे अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जो निरस्त करते हुए आवेदक के नाम का नामान्तरण किये जाने का आदेश विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया था। जिसके विरुद्ध अनावेदक ने उक्त अपील आधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की जिस पर से आधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है जिसके विरुद्ध यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत है।

निगरानी के आधार:-

1- यह कि आधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत गैर निगरानी आदेश विधि एवम विधान के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1643-II/10 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी. बंसल उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.5.19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	